न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 198/2019

1. होशियार सिंह पुत्र मनीराम जाति कुम्हार निवासी कणाऊ त0 भादरा।

:— वादी

ब नाम

1. मनीराम पुत्र अनाराम जाति कुम्हार निवासी कणाऊ त0 भादरा।
2. रोहिताश कुमार पुत्र मनीराम जाति कुम्हार निवासी कणाऊ त0 भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री महावीर सिंह एवं वकील प्रतिवादीगण श्री पवन सिहाग की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 63/64 के खसरा सं0 131 की 4.7930है0, खसरा सं0 226 की 7.0310है0, खसरा सं0 249 की 5.4510है0, खसरा सं0 621/221 की 4.5530है0 कुल 21.8280है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 मनीराम के नाम से 1/3 हिस्सा दर्ज है में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही 'उपरोक्तानुसार वादी सं 1 होशियार सिंह व प्रतिवादी सं0 1 मनीराम, प्रतिवादी सं0 2 रोहिताश कुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18-01-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:06:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 198/2019

1. होशियार सिंह पुत्र मनीराम जाति कुम्हार निवासी कणाऊ त0 भादरा।

:- वादी

ब ना म

1. मनीराम पुत्र अनाराम जाति कुम्हार निवासी कणाऊ त0 भादरा।
2. रोहिताश कुमार पुत्र मनीराम जाति कुम्हार निवासी कणाऊ त0 भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री महावीर सिंह : वादी
वकील श्री पवन सिहाग : प्रतिवादीगण

दिनांक : 18-01-2021

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 63/64 के खसरा सं0 131 की 4.7930है0, खसरा सं0 226 की 7.0310है0, खसरा सं0 249 की 5.4510है0, खसरा सं0 621/221 की 4.5530है0 कुल 21.8280है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 मनीराम के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता अनाराम की खातेदारी हुआ करती थी। अनाराम से विरासतन उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 मनीराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाज़ा यही वनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 2 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। व प्रतिवादी सं 3 स्टेट की ओर से पेश किया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाई गई।

साक्ष्य वादी में पी0डब्ल्यू 1 होशियार सिंह पुत्र मनीराम जाति कुम्हार निवासी कणाऊ के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम कणाऊ नामान्तरण सं0 195 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही कणाऊ संवत 2072-75 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत कणाऊ प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:06:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

...का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड ... दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक ...जीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम कणाऊ के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 3 में वारिसप्रमाण पत्र में मनीराम के दो पुत्र होशियार सिंह व रोहिताश के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 63/64 के खसरा सं0 131 की 4.7930है0, खसरा सं0 226 की 7.0310है0, खसरा सं0 249 की 5.4510है0, खसरा सं0 621/221 की 4.5530है0 कुल 21.8280है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 मनीराम के नाम से 1/3 हिस्सा दर्ज है में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 63/64 के खसरा सं0 131 की 4.7930है0, खसरा सं0 226 की 7.0310है0, खसरा सं0 249 की 5.4510है0, खसरा सं0 621/221 की 4.5530है0 कुल 21.8280है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 मनीराम के नाम से 1/3 हिस्सा दर्ज है में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 होशियार सिंह व प्रतिवादी सं0 1 मनीराम, प्रतिवादी सं0 2 रोहिताश कुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18-01-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:06:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner